अपर्णा यू0
आई0ए0एस0

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14- अशोक मार्ग, लखनऊ
ई-मेल : mduppcl12@gmail.com
दूरभाष - (0522) 2288377 (का0) फैक्स - (0522) 2288410
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः 710 /मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0-दो/ओ0टी0एस0(2)/2018-19 दिनांकः जून, 15 ,2019

विषय- दिनांक 01.01.2019 से लागू "सरचार्ज समाधान योजना" में भुगतान अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

ई-मेल/ स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर

महोदय,

कृपया कारपोरेशन के पत्रांक 1732/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0-दो/ओ0टी0एस0(2)/2018-19 दिनांक 31.12.2018, 124/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0-दो/ओ0टी0एस0(2)/2018-19 दिनांक 31.01.2019, 244/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0-दो/ओ0टी0एस0(2)/2018-19 दिनांक 21.02.2019 एवं 435/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0-दो/ओ0टी0एस0 (2)/2018-19 दिनांक 31.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0-1 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक), एल0एम0वी0-2 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक) एवं एल0एम0वी0-5 (समस्त विद्युत भार) दर श्रेणी के दिनांक 25.03.2019 तक अधिभार माफी की लागू सरचार्ज समाधान योजना में पंजीकरण करा चुके बकायेदार उपभोक्ताओं हेतु, ग्रामीण तथा आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं/कृषकों की आर्थिक समस्याओं के दृष्टिगत, शेष देय धनराशि के पूर्ण ऑनलाइन भुगतान किए जाने का अंतिम अवसर निम्नवत प्रदान किया जाता है:-

1. यह सुविधा मात्र एल0एम0वी0-1 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक), एल0एम0वी0-2 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक) एवं एल0एम0वी0-5 (समस्त विद्युत भार) दर श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं, जिन्होने अपना पंजीकरण सरचार्ज समाधान योजना के अन्तर्गत दिनांक 25.03.2019 तक कराया है एवं उक्त योजना की भुगतान प्राप्ति की अंतिम तिथि तक शेष धनराशि का भुगतान नहीं किया है, हेतु मान्य होगी।
2. इस सुविधा के अन्तर्गत पंजीकृत उपभोक्ताओं को अद्यतन तक की बकाया धनराशि (सरचार्ज सहित) में से दिनांक 31.12.2018 तक के देय सरचार्ज धनराशि को घटाने के उपरान्त, आंगणित धनराशि का भुगतान करना होगा।
3. खण्डीय अधिकारियों द्वारा 04.04.2019 से 30.04.2019 तक जिन उपभोक्ताओं के बिल संशोधित कर दिए गये हैं उनके मामलों पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी।
4. शेष देय धनराशि का भुगतान 31.08.2019 तक किश्तों में किया जा सकता है।
5. उपरोक्त व्यवस्था के उपरान्त भी उपभोक्ता द्वारा यदि ससमय भुगतान नहीं किया जाता है तो पंजीकरण निरस्त मानते हुये बकाया धनराशि पर सरचार्ज सम्पूर्ण अवधि हेतु देय होगी।

योजना की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

उपरोक्त दी जा रही सुविधा दिनांक 15.06.2019 से प्रभावी होगी। इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुये इसे प्रभावी ढ़ग से लागू करें ताकि अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके एवं योजना से लाभ से वंचित अर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्तागण योजना का लाभ ले सकें।

भवदीया,

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

OTS(2)/9

पत्र संख्या: 710 /मु0अ0(वाणिज्य)सीयू–दो/ओ0टी0एस0(2)/2018–19 तद् दिनांक:– 15-6-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ससंलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त/वाणिज्य/वितरण/कॉ0प्ला0/का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (आ0ए0यू0), उ0प्र0 पा0का0लि0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (वणिज्य–1/वाणिज्य–2), उ0प्र0 पा0का0लि0, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0 पा0का0लि0, लखनऊ को आई0टी0 सिस्टम मे समुचित परिवर्तन हेतु।
7. इन्चार्ज एम0बी0सी0 सेल, शक्ति भवन, लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ दैनिक सूचना हेतु।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (कम्प्यूटराईजेशन इकाई), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

Aparna. U.

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

OTS(2)/10